न्यूज ब्रीफ

महावीर गौशाला बालोद में श्रद्धा और उल्लास संग मना मकर संक्रांति पर्व

बालोद। स्थानीय महावीर गौशाला एवं अनुसंधान केंद्र, बालोद में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मकर संक्रांति का पावन पर्व अत्यंत हर्षोल्लास और भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गौशाला अध्यक्ष समीर गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया। संस्था के सचिव विनय सोनी ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। गौशाला संचालन की प्रक्रिया और वित्तीय पारदर्शिता को दानदाताओं के समक्ष विस्तार से रखा। गौ-सेवा के कार्य में दानदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। डी.एस. देशमुख ने अपनी धर्मपत्नी स्व. गीता देवी की स्मृति में शेड निर्माण हेतु 21,000 की राशि प्रदान करने की घोषणा की। इसी क्रम में ताराचंद सांखला, वेल भाई पटेल और चेंबर ऑफ कॉमर्स के जिलाध्यक्ष हरीश सांखला ने भी अतिरिक्त शेड निर्माण की घोषणा की।

मनरेगा से बदल रही गावों की तस्वीर

कवर्धा। कबीरधाम जिले में मनरेगा से गावों की तस्वीर बदल रही है। मनरेगा में चल रहे विकास कार्यों में जहां हजारों मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। वहीं आजीविका एवं सिचाई सुविधाओं का विस्तार भी हो रहा है। जिले के आदिवासी बाहुल्य बोड़ला ब्लाक में डबरी एवं चैकडेम का निर्माण हो रहा। जनपद पंचायत के मुख्य कार्य पालन अधिकारी आकाश सिंह एवं पीओ रमेश कुमार भास्कर ने बताया कि ब्लाक में इस योजना के तहत 2025-26 में अभी तक 12668 मजदूरों को कार्य दिया गया है, जो जिले में प्रथम स्थान पर है। विकास खंड में इस वित्तीय वर्ष में मछली पालन आजीविका के तहत173 डबरी निर्माण की स्वीकृति किया गया। इसमें 70 कार्य प्रगतिरत हैं। मछली पालन से लोगों को आजीविका प्राप्त होंगी।

युवा नेतृत्व को सौंपी गई कमान, सतनामी समाज में सामाजिक बदलाव की उम्मीद

खैरागढ़। सतनामी समाज छत्तीसगढ़ (युवा प्रकोष्ठ) ने संगठन को नई दिशा देने और सामाजिक सरोकारों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से नई कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष कमल कुर्रे द्वारा जारी नियुक्ति आदेश में समाज के सक्रिय युवाओं को जिम्मेदारी सौंपते हुए संगठनात्मक मजबूती पर विशेष जोर दिया गया है। नियुक्तियों के तहत उमेश कोठले को प्रदेश महासचिव, यशवंत कोठले को जिला अध्यक्ष खैरागढ़, पप्पू पात्रे को जिला महामंत्री खैरागढ़ तथा राजकुमार माण्डले को प्रदेश सहसचिव नियुक्त किया गया है। समाज के भीतर इन नियुक्तियों को सकारात्मक बदलाव की शुरूआत के रूप में देखा जा रहा है। संगठन के वरिष्ठजनों का कहना है कि वर्तमान समय में समाज को संगठित नेतृत्व, शिक्षा, नशामुक्ति, सामाजिक न्याय और युवाओं की भागीदारी जैसे मुद्दों पर मजबूत पहल की आवश्यकता है।

भाजयुमो जिलाध्यक्ष हेमंत नागेश का बिंद्रानवागढ़ में किया गया स्वागत

गरियाबंद। गुरुवार को युवा मिलन कार्यक्रम के तहत पहली बार बिंद्रानवागढ़ मंडल पहुंचे भाजयुमो जिला अध्यक्ष हेमंत नागेश का ग्राम जोबा में जोशीला स्वागत किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजयुमो मंडल महामंत्री राज दे ने किया। इस दौरान बिंद्रानवागढ़ मंडल अध्यक्ष धनराज विश्वकर्मा, मंडल महामंत्री धनंजय नेताम सहित बड़ी संख्या में भाजयुमो के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान नव नियुक्त जिलाध्यक्ष हेमंत नागेश ने कहा कि उन्हें युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मैं आप सबके बीच समर्थन मांगने आया हूं कि हम सब मिलकर संगठन को और अधिक सशक्त, मजबूत और ऊर्जावान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा पार्टी की रीढ़ है। जब युवा मोर्चा मिलकर काम करेगा तो बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर कमल खिलेगा।

भाटापार क्षेत्र में जगह-जगह जन्मदिन पर आयोजित किए गए कार्यक्रम और हुआ भव्य स्वागत

भाजपा नेता शिवरतन शर्मा के जन्मदिन पर बधाई देने उमड़ा जनसैलाब

पीपुल्स संवाददाता • भाटापारा
editor@peoplessamachar.co.in

भाजपा के कद्दावर नेता शिवरतन शर्मा अपने जन्मदिन पर सुबह 10 बजे नगर स्थित बाबा महाकाल, हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने पहुंचे। जहां विधि-विधान के साथ पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। मंदिर प्रांगण में केक काटकर जन्मदिन मनाया। लोगों ने शिवरतन शर्मा को जन्मदिन की बधाई दी। पूजा अर्चना पश्चात नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष अश्वनी शर्मा एवं सभापति, पार्षद, कर्मचारियों द्वारा शिवरतन शर्मा को जन्मदिन की बधाई दी गई। सुबह 11:00 बजे से भाजपा कार्यालय भाटापारा में शिवरतन शर्मा प्रदेश के कोने कोने से आए लोगों से आत्मीय भेंट कर उनकी बधाई स्वीकार करते रहे। दोपहर 2 बजे के उपरांत, जनपद कार्यालय में जनपद अध्यक्ष सविता प्रदीप अनंत, उपाध्यक्ष भोला वर्मा, संकेत अग्रवाल एवं अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं द्वारा सेंट मैरी स्कूल, रामलीला मैदान, तरेंगा सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल द्वारा आयोजित कार्यक्रम, कौशलपुर मंडल नारायण साहू एवं पदाधिकारीयों द्वारा काटी धरसा, नांदघाट मां सर्वेश्वरी ऑटो मोबाईल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जन्मदिवस मना कर सिमगा के लिए रवाना हुए। देर शाम हेम कमारी एवं साथियों द्वारा, यश कार के पास नभ नारायण साहू एवं साथियों द्वारा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुनील यदु द्वारा श्याम हॉटल चौक, यादव समाज द्वारा पल्टन हॉटल पास, भारत माता चौक में भाजयुमो द्वारा, कोमल जूस में अभिषेक मिश्रा एवं साथियों द्वारा प्रदेश मंत्री आशीष जायसवाल द्वारा कार्यालय में जन्मदिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा गोलू द्वारा कोलियारी में सिमगा के ग्राम किरवई में सरपंच अन्नपूर्णा उमेश द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

सार्वजनिक स्थान पर चाकू लहराकर दहशत फैलाने वाला युवक गिरफ्तार

खैरागढ़। सार्वजनिक स्थान पर धारदार चाकू लहराकर आमजन को भयाक्रांत करने वाले एक युवक को थाना खैरागढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार 14 जनवरी को सूचना मिली कि दाऊचौरा पुल के पास एक युवक हाथ में चाकू लेकर लोगों को डराते हुए उपद्रव की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। सूचना मिलते ही थाना खैरागढ़ पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को चाकू सहित रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी ने अपना नाम राजदीप सिंह (19) पिता केदार सिंह निवासी वार्ड क्रमांक 17, दाऊचौरा खैरागढ़ बताया।

जगन्नाथपुर में एकदिवसीय मानस गान में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय

शराब पीकर हंगामा करने वालों पर 25 हजार रुपए का लगाया जाएगा जुर्माना

पीपुल्स संवाददाता • बालोद
editor@peoplessamachar.co.in

ग्राम जगन्नाथपुर में शुक्रवार को आयोजित एकदिवसीय मानस गान कार्यक्रम ने न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत किया, बल्कि सामाजिक अनुशासन और ग्राम स्तर पर सशक्त निर्णय क्षमता का भी प्रभावशाली संदेश दिया। भक्ति, श्रद्धा और रामायण के आदर्शों से ओत-प्रोत आयोजन के साथ-साथ ग्राम विकास समिति की महिलाओं ने असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए

सख्त निर्णय लेते हुए शराब पीकर हंगामा करने वालों पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड का प्रावधान लागू किया। इस निर्णय की जानकारी मुनादी के माध्यम से पूरे गांव में सार्वजनिक रूप से दी गई। एकदिवसीय मानस गान आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता नारी शक्ति और युवाओं की एकजुटता रही। जहां एक ओर गांव के युवाओं ने आयोजन की जिम्मेदारी संभाली, वहीं ग्राम की महिलाओं ने पूरी सक्रियता के साथ सहयोग दिया। इसका प्रमुख कारण यह भी है कि ग्राम जगन्नाथपुर में नेतृत्व की कमान महिलाओं के हाथों में है। गांव की सरपंच देवकुमार कोसीमा, जनपद सदस्य दमयंती हरदेल, जिला पंचायत सदस्य पूजा वैभव साहू और ग्राम विकास समिति अध्यक्ष कोमिन साहू- सभी महिलाएं हैं।

भव्य हिंदू सम्मेलन में गूंजा सामाजिक एकता का मंत्र

संघ शताब्दी वर्ष: धरसीवां में उमड़ा जनसैलाब

रमेश बत्रा • तिल्दा नेवरा धरसीवां
9584198700

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में धरसीवां खंड में 'हिंदू सम्मेलन' का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समरसता और संगठनात्मक शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। ग्रामीण अंचलों से आए हजारों नागरिकों और समाजसेवियों की उपस्थिति ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। संत सुरेश्वर दास सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे संत सुरेश्वर दास जी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

उन्होंने कहा, हिंदू समाज की असली शक्ति उसकी एकता, संस्कारों और नैतिक मूल्यों में निहित है। हमें अपनी सनातन संस्कृति के गौरव को पहचानना होगा और सामाजिक बुराइयों को त्याग कर समरस समाज का निर्माण करना होगा। मुख्य वक्ता खेमलाल खूंटे ने अपने ओजस्वी संबोधन में समाज को संगठित रहने का आह्वान किया।

जिला स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता 2026 का हुआ भव्य आयोजन

अनुशासन और खेल भावना जीवन के हर क्षेत्र में काम आएगा : कलेक्टर

पीपुल्स संवाददाता • सारंगढ़-बिलाईगढ़
editor@peoplessamachar.co.in

जिला प्रशासन एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिलास्तरीय एकदिवसीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता-2026 का आयोजन सारंगढ़ के खेलभाठा मैदान में हुआ। प्रतियोगिता में बालिका वर्ग (9 से 18 वर्ष) एवं महिला वर्ग (18 से 35 वर्ष) के बीच होगा। एथलेटिक्स, 100 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, रस्साकस्सी, खो-खो, वॉलीबॉल,

हॉकी, कुश्ती, फुटबॉल एवं बास्केटबॉल सहित विभिन्न खेल विधाओं को शामिल किया गया। जिले के सारंगढ़, बरमकेला एवं बिलाईगढ़ ब्लॉक से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया। रस्साकस्सी प्रतियोगिता में सारंगढ़ एवं बरमकेला ब्लॉक के मध्य मुकाबला खेला गया। जिसमें बरमकेला ब्लॉक की टीम ने जीत हासिल की। बालिका वर्ग की 400 मीटर दौड़ का शुभारंभ कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पाण्डेय, सत्ताधारी दल के जिला अध्यक्ष ज्योति पटेल, जिला शिक्षा अधिकारी जे. आर. डहरिया, जिला खेल प्रभारी (डिप्टी कलेक्टर) शिक्षा शर्मा, समाज कल्याण विभाग के विनय तिवारी सहित सहायक क्रीड़ा अधिकारी कौशल आदि रहे।

विकास कार्यों व सुविधाओं के विस्तार से बदल रहा सारंगढ़ बिलाईगढ़ का स्वरूप

कलेक्टर ने मीडिया को दी विकास कार्यों की जानकारी

पीपुल्स संवाददाता • सारंगढ़ बिलाईगढ़
editor@peoplessamachar.co.in

कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे की अध्यक्षता और पत्रकारों की उपस्थिति में जनसंपर्क विभाग द्वारा राज्य स्थापना के रजत जयंती के अवसर पर क्रिएटर मीट, पॉड कॉस्ट सीरीज और चाय पर चर्चा कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। सीएम साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा की पहल पर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का विकास बहुत तेज गति से हुआ है, जिससे सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में सुविधा की बढ़ोतरी हुई है। जिले में जिला सयुंक्त कार्यालय, जिला अस्पताल, एसडीएम और तहसील कार्यालय का निर्माण चल रहा है। सरिया में 100 बिस्तर हॉस्पिटल, उप पंजीयक कार्यालय, अपेक्स बैंक नया खुल गया है। वहीं भटगांव में भी उप पंजीयक कार्यालय प्रारम्भ हो चुका है। सारंगढ़ सराईपाली और सारंगढ़ बलौदाबाजार नेशनल हाईवे में सड़क मरम्मत पूर्ण है। नालंदा परिसर और लाईवलीहुड कॉलेज प्रस्तावित है वहीं सरसीवा से सराईपाली सड़क मरम्मत कार्य निविदा प्रक्रिया में है। वृद्धजनों हेतु सारंगढ़ में आशा निकेतन वृद्धाश्रम और युवाओं के कैरियर के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निशुल्क कोचिंग की जा रही है।

271 किसान अभी तक नहीं बेच पाए हैं धान

बालोद। डौंडीलोहारा ब्लाक के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति चेन्द्रीबन नवागांव में खरीदी केंद्र में कुल सरना 17398.80 क्विंटल, मोटा धान 12035.60 क्विंटल तथा पतला 4572.40 क्विंटल की खरीदी की गई है। समिति में कुल 34006.80 क्विंटल की धान की खरीदी हो चुकी है धान की खरीदी, 748 किसानों ने धान बेचा है। कुल 1019 किसानों का धान बेचने के लिए पंजीकृत है इस प्रकार कुल 271 किसानों ने अभी तक धान नहीं बेच पाया है। डौंडीलोहारा ब्लॉक के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति चेंद्रीबन नवागांव में कुल 748 किसानों द्वारा कुल 34006 क्विंटल धान की बेची गई है।

थाना दिवस में साइबर जागरूकता व सड़क सुरक्षा पर जोर फरियादियों की समस्याओं का किया गया त्वरित निराकरण

पीपुल्स संवाददाता • खैरागढ़
editor@peoplessamachar.co.in

जिला केसीजी पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता एवं सड़क सुरक्षा की थीम पर जनवरी माह के तृतीय गुरुवार को थाना दिवस कार्यक्रम का आयोजन जिले के सभी थाना एवं चौकियों में किया गया। इसी कड़ी में थाना खैरागढ़ में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक लक्ष्य शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। थाना दिवस के अवसर पर शासकीय एवं संस्थागत अधिकारी-

कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु, ग्राम प्रमुख एवं कोटवार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आमजन ने अपनी समस्याएं खुलकर रखीं, जिनका मौके पर ही निराकरण होते देख लोगों के चेहरे पर संतोष और खुशी झलकी। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ स्थानीय समस्याओं पर विशेष चर्चा भी की गई। पुलिस अधीक्षक ने साइबर फ्रॉड, नए आपराधिक कानून, महिला एवं बच्चों की सुरक्षा तथा यातायात नियमों के पालन की जानकारी दी। उन्होंने साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सभी थाना व चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में साइबर एवं यातायात जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही आवारा मवेशियों के कारण हो रही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं स्वच्छ वातावरण बनाए रखने हेतु आम नागरिकों से अपील की गई।

ICICI Home Finance | कॉर्पोरेट कार्यालय: आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, अंधेरी - कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400059, भारत

ब्रांच ऑफिस: क्रिसेंट प्लाजा, यूनिट-H4, दूसरी मंजिल, स्वरूप टॉकीज के पास, स्टेशन रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़-491001
ब्रांच ऑफिस: पहली मंजिल, इंदिरा टावर, A-26, जोन II, मेन रोड व्यापार विहार बिलासपुर (C.G.) 495001

[नियम 8(6) का प्रावधान देखें] अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित।
इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो कि सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/भारित है, जिसका कब्जा आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे जहां है जैसा है, जो है जैसा है और जो कुछ भी है के आधार पर नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण के अनुसार बेचा जाएगा;

स. क्र.	उधारकर्ता/सह उधारकर्ता/ गारंटर/कानूनी उत्तराधिकारी का नाम/ ऋण खाता संख्या	ज्ञात ऋणभारों के साथ सुरक्षित परिसंपत्ति(यों) का विवरण, यदि कोई हो	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य बयाना जमा राशि	संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय	नीलामी की तिथि एवं समय	नीलामी तिथि से एक दिन पहले	सरफेसी स्टेज
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)
1.	दुलेश कुमार (उधारकर्ता) राधेश्याम सवेरे, (सह-उधारकर्ता) रोहिता। (सह-उधारकर्ता) लैन नंबर LHRPR00001413099 और LHRPR00001413100	खसरा नंबर 619/1, (नया 619/34) मौजा-महुदा, पीएच नंबर 07, रिक-भिलाई, तहसील पाटन, दुर्ग में स्थित है	रू. 9,90, 451.21/- जनवरी 08, 2026	रू. 16,37, 100/- रू. 1,63, 710/-	फरवरी 11, 2026 11:00 AM-03:00 PM	फरवरी 18, 2026 02:00 PM-03:00 PM	फरवरी 17, 2026 को 05:00 PM से पहले	सांकेतिक कब्जा
2.	रमाकांत श्रीवास (उधारकर्ता) गायत्री देवी (सह-उधारकर्ता) लैन नंबर LHBSR00001595082 और LHBSR00001595083	संपत्ति खसरा नंबर 311/3, पी.एच. पर स्थित है। नं.12, आर.एन.एम. पामगढ़, ग्राम कोसला, तहसील पामगढ़ एवं जिला जांजगीर-चांपा आर छत्तीसगढ़ 4950	रू. 15,94, 482.00/- जनवरी 08, 2026	रू. 17,64, 180/- रू. 1,76, 418/-	फरवरी 11, 2026 11:00 AM-03:00 PM	फरवरी 18, 2026 02:00 PM-03:00 PM	फरवरी 17, 2026 को 05:00 PM से पहले	सांकेतिक कब्जा
3.	शंकर लाल ठाकुर (उधारकर्ता) ईश्वरी बाई (सह-उधारकर्ता) लैन नंबर LHRPR00001394665	मौजा मोंगारी संपत्ति ग्राम मोंगरी लाटाबोड़ गुंडरदेही बालोद खसरा नंबर 289 पीएच नंबर 30 ग्राम मोंगरी छत्तीसगढ़ 491221 पर स्थित है	रू. 4,96, 532.95/- जनवरी 12, 2026	रू. 16,16, 760/- रू. 1,61, 676/-	फरवरी 11, 2026 11:00 AM-03:00 PM	फरवरी 18, 2026 02:00 PM-03:00 PM	फरवरी 17, 2026 को 05:00 PM से पहले	सांकेतिक कब्जा

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी वैल्यूट्रस्ट कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट (URL लिंक- https://BidDeal.in) पर आयोजित की जाएगी।
बंधककर्ताओं/नोटिसकर्ताओं को 17 फरवरी 2026 को शाम 5:00 बजे से पहले अतिरिक्त ब्याज सहित कुल बकाया राशि का भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, अन्यथा इन सुरक्षित परिसंपत्तियों को उपरोक्त अनुसूची के अनुसार बेच दिया जाएगा।
संभावित बोलीदाता(ओं) को 17 फरवरी 2026 को शाम 4:00 बजे से पहले ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, लेख के शीर्ष पर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर बयाना राशि जमा (EMD) RTGS/डिमांड ड्राफ्ट (DD) (कॉलम E देखें) जमा करनी होगी। संभावित बोलीदाता(ओं) को 17 फरवरी 2026 को शाम 5:00 बजे से पहले ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, लेख के शीर्ष पर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर पंजीकरण फॉर्म और बोली नियम व शर्तों के फॉर्म की हस्ताक्षरित प्रति भी जमा करनी होगी। बयाना राशि जमा डिमांड ड्राफ्ट (DD) किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से "ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड-नीलामी" के पक्ष में लेख के शीर्ष पर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर देय होना चाहिए।
निरीक्षण, बिक्री के नियम और शर्तों या बोलियों को प्रस्तुत करने के संबंध में किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए, कृपया आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से 9920807300 पर संपर्क करें।
प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई और कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://www.icicihfc.com पर जाएं।
दिनांक : 17 जनवरी 2026
स्थान : दुर्ग, जांजगीर
अधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फायनेंस कंपनी लिमिटेड
CIN Number:- U65922MH1999PLC120106

IndusInd Bank INDUSIND BANK LIMITED
1st Floor, Sangam Tower Church Road, Jaipur-302001

मांग सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 (1) के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के धारा 13 (2) के तहत के तहत मांग सूचना

निम्नलिखित अनुसार ऋणकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि चूंकि इंडसइंड बैंक लिमिटेड (आई.बी.एल) से उनके द्वारा उठाए गए ऋण सुविधा को चुकाने में वे विफल रहे। उनके लोन ऋण सुविधा को आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार बैंक के बुक में गैर निष्पादित संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद बैंक ने बताए ऋणकर्ताओं को अंतिम ज्ञात पते पर वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के धारा 13 (2) के तहत (सर्फेसी एक्ट) निम्नलिखित संबंधित ऋणकर्ता को मांग सूचना जारी किया है जिसमें उन्हें संबंधित सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर मांग सूचना में निर्दिष्ट राशि चुकाने के लिए उन्हें बुलाया गया है। मांग सूचना में बताए अनुसार निम्नलिखित राशि पर संविदा दर पर अग्रिम ब्याज आकस्मिक व्यय, शुल्क आदि के साथ नीचे दिए विवरण के अनुसार राशि जमा करने की सूचना दी गई है। बहरहाल प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (सर्फेसी एक्ट) के नियम 3 के अनुसार प्रकाशन के माध्यम से हमारी ओर से यह सेवा की गई है।

ऋणी एवं सह-ऋणी का नाम एवं पता	मांग सूचना की दिनांक एवं बकाया राशि	सुरक्षित/बंधक सम्पत्ति का विवरण
श्री सुब्रत कर्माकर पुत्र श्री महादेव कर्माकर (ऋणी/बंधककर्ता) श्रीमती सुजाता कर्माकर पत्नी श्री सुब्रत कर्माकर (सह-ऋणी)	मांग सूचना की दिनांक 20.12.2025 रू. 28,97,805.46 (अक्षरे रुपये अठाईस लाख सतयानवे हजार आठ सौ पांच और छियालीस पैसे) दिनांक 02.12.2025 तक एवं भविष्य के ब्याज एवं खर्च अतिरिक्त	सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते है जिसमे भूमि खसरा संख्या 203/12 जो मौजा टिकरापारा, रवीन्द्रनाथ टैगोर वार्ड, लक्ष्मी नगर, वार्ड संख्या 51, रायपुर, पी.एच. नं. 114/45/70,आर.आई. सी- रायपुर-11 - टिकरापारा, तहसील-रायपुर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) क्षेत्रफल 617 वर्गफीट अथवा 57.34 वर्गमीटर सीमाए:- पूर्वः सड़क, पश्चिमः गौतम का मकान, उत्तरः खान साहब का मकान, दक्षिणः विक्रेता की भूमि
	एन.पी.ए. की दिनांक 03.11.2025	Loan A/c. Number 773000036040,776000012809,778000033204

एतद् द्वारा ऋणकर्ता को सूचित किया जाता हैं कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर अग्रिम ब्याज उस पर लागत शुल्क खर्चे आदि सहित संबंधित जारी मांग सूचना में बताए बकाए राशि से अधिक जमा कराए। ऐसा नहीं करने पर बताए नियमावली की धारा 13 (4) के तहत उत्तप्रतिभूति संपत्ति / अचल संपत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने की हमें स्वतंत्रता होगी। इससे संबंधित लागू नियमों के अनुसार आपकी खुद की खर्चे व परिस्थिति पर बताए ऋणकर्ता / सहकर्ता / कानूनी उत्तराधिकारी / कानूनी प्रतिनिधि की जोखिम पर संपूर्ण प्रतिभूति संपत्ति का कब्जा एवं बिक्री भी संभव है। सर्फेसी एक्ट के धारा 13 (13) के अनुसार कृपया ध्यान दें कि आप सभी को बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना उत्तप्रतिभूति संपत्ति की बिक्री, लीज या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरण करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे संबंधित बताए। सैक्शन के उल्लंघन पर सर्फेसी एक्ट तथा या अन्य कोई कानूनी प्रावधान के धारा 29 के तहत दिए गए अनुसार कार्यवाई की जाएगी। एक्ट के धारा -13 के उप धारा (8) के अनुसार कृपया ध्यान दें कि बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व आईबीएल द्वारा निविदित राशि सभी खर्चे, शुल्कों एवं खर्चे के साथ यदि बकाए चुका दिए जाते हैं तो आईबीएल द्वारा प्रतिभूतित संपत्ति की न तो बिक्री की जाएगी और न ही हस्तांतरण साथ प्रतिभूतित परिसंपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण नहीं करने समेत आईबीएल कोई अगला कदम नहीं उठाएगा।
हस्ता./- वास्ते
दिनांक 17.01.2026 स्थान:- रायपुर
इंडसइंड बैंक लिमिटेड अधिकृत अधिकारी

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट-IV-A - अचल संपत्ति/संपत्तियों की ई-नीलामी-सार्वजनिक बिक्री सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी-बिक्री सूचना।
पंजीकृत कार्यालय: 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, कस्तूरबा गांधी. मार्ग, नई दिल्ली-110 001, PH.: 011-23357171, 23357172, 23705414, Website : www.pnbhousing.com
बी.ओ. रायपुर : तीसरी मंजिल, ऑफिस नंबर 301, 28/620, नीलये आइकॉनिक, अनेम्ड, शंकर नगर, नया रायपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़

एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कॉलम संख्या-ए में दर्शाए गए उधारकर्ता(कों) एवं गारंटीकर्ता(कों) को सूचित किया जाता है कि कॉलम संख्या-डी में वर्णित नीचे वर्णित अचल संपत्ति (संपत्तियां) जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा मे. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा (कॉलम संख्या-सी में वर्णित अनुसार) ले लिया गया है, उसे नीचे दिए गए विवरण के अनुसार "जहां है, जैसा है और जो भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। एतद्द्वारा संबंधित उधारकर्ता(कों)/बंधककर्ता(कों)/कानूनी उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि (ज्ञात या अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(कों), उधारकर्ता(कों)/बंधककर्ता(कों) (अब मृत) के समनुदेशिती(कों) को, जैसा भी मामला हो, नियम-8(6) एवं धारा 9 के अंतर्गत कॉलम संख्या-ए में दर्शाए गए अनुसार, सूचित किया जाता है। प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के अनुसार, आज की तिथि तक संशोधित। बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया मे. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.pnbhousing.com पर दिए गए लिंक का संदर्भ लें।

ऋण संख्या/ऋणकर्ता का नाम/सह-ऋणकर्ता/ जमानतदार (रों)/कानूनी वारिस (A)	मांग राशि एवं दिनांक (B)	कब्जे का प्रकार (C)	बंधक संपत्ति का विवरण (D)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (E)	ईएमडी (10% आरपी) (F)	नीलामी प्रस्ताव की अंतिम दिनांक (G)	नीलामी वृद्धि दर (H)	निरीक्षण दिनांक एवं समय (I)	नीलामी समय एवं दिनांक (J)	ज्ञात भार/अदालती मामला यदि कोई है (K)
HOU/RAI/0418/515190 ईश्वर लाल निरमलकर/रेखा निरमलकर /शुभम निरमल बी.ओ. : रायपुर	Rs. 8,54,345.94 & 28-07-2023	सांकेतिक कब्जा	प्लॉट नं.196, पीएच नं.69/12, ख.नं.259/1, 259/2, 262/1, 262/2, 263, 306, संस्कार सिटी, ग्राम धनसुली रिक मंदिर हसौद, तहसील अरंग मंदिर हसौद, छत्तीसगढ़-493445, रायपुर, भारत	रू. 9,72,000	रू. 97,200	13/02/2026	रू. 10,000	22-01-2026, 12:00pm to 04:00pm	16-02-2026, 2PM to 03:00PM	ज्ञात नहीं

"साथ में लागू 18% प्रति वर्ष के अतिरिक्त ब्याज के साथ, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि, भुगतान की तिथि और/या उसकी वसूली तक किए गए।" सर्वश्रेष्ठ करने के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के ज्ञान और जानकारी के अनुसार, ऊपर उल्लिखित अचल/कॉलम संख्या-के में प्रकट की गई संपत्तियों को छोड़कर सुरक्षित संपत्तियां। इसके अलावा, इस तरह के भार को सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपने स्तर पर पूरा/भुगतान किया जाएगा। भावी क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे स्वतंत्र रूप से उल्लेखित भारों की सत्यता का पता लगाएं
(1.) आज की तारीख तक, पीएनबीएचएफएल, पीएनबीएचएफएल के अधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने, अलग करने और/या निपटाने से रोकने और/या अदालती निषेधाज्ञा का कोई आदेश नहीं है और स्थिति का उल्लेख कॉलम संख्या-के में किया गया है। (2.) भावी क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्ष स्वतंत्र रूप से कॉलम संख्या-के में बताई गई कार्यवाही/पारित आदेश आदि में दलीलों का निरीक्षण कर सकते है, यदि कोई हो। इसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उससे संबंधित शीर्षक के दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है, लेकिन यह उस तक ही सीमित नहीं है और निविदा/बोली आवेदन पत्र जमा करने या प्रस्ताव देने से पहले सभी मामलों में खुद को संतुष्ट कर लें। बोलीदाता(ओं) को बोली फॉर्म के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। (3.) कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/क्रेता कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (बयाना राशि सहित) उसी दिन या अगले कार्य दिवस से पहले जमा करने के लिए बाध्य है। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त होने के बाद ही बोलीदाता(ओं) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। बिक्री की शेष 75% राशि बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा जमा की जानी चाहिए और ऐसी जमा राशि के न जमा करने पर, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री पुष्टिकरण पत्र में उल्लिखित 15 दिनों की अनिवार्य अवधि की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर बिक्री विचार राशि के आंशिक भुगतान को जब्त कर लेगा और संपत्ति/सुरक्षित परिसंपत्ति को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फिर से बेचा जाएगा। (4.) मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री करने में प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करेगी, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट संख्या 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा 122003 में है। वेबसाइट - www.bankeauctions.com संपत्ति या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिए, आपको विवेक लोधा (टोल फ्री नंबर - 1800 120 8800, ई-मेल : auction@pnbhousing.com, के साथ समन्वय करना होगा, जो पीएनबीएचएफएल के अधिकृत व्यक्ति हैं या www.pnbhousing.com देखें।

स्थान: रायपुर, दिनांक:16.01.2026
हस्ते/-अधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड